

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/134020/GZB/GHAZIABAD/7559/JD

दिनांक: 11-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RAMPRASTHA BUILDERS PVT.LTD.** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **MIRABILIS - 221M PART, 222M, 223M PART, 224M PART,, 302 M, 303 M, 304 PART, 307 PART, VILLAGE-MAKANPUR, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** प्लाट एरिया **24081.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **181781.159** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **4** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A1 3 BASEMENT GROUND AND 37 FLOOR	38	3	147.40 mt.
TOWER A2 3BASEMENT GROUND AND 37 FLOOR	38	3	147.40 mt.
TOWER A3 3BASEMENT GROUND AND 37 FLOOR	38	3	147.40 mt.
TOWER A4 3 BASEMENT GROUND AND 36 FLOOR	37	3	147.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **RAMPRASTHA BUILDERS PVT.LTD.** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र खत: ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **RAMPRASTHA BUILDERS PVT.LTD.** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भोतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएं उ०प्र० ०५१-समस्त निकास मार्गों का इन्कलोजर ४ घन्टे तापरोधी होगा व समस्त स्टेयरकेस के प्रवेश द्वारा में २ घन्टे तापरोधी य०४०८०मान्य फायरचैकडोर लगाये जायेंगे। १२-समस्त तलों के स्पिंकलर को ग्रेविटी टैंक, व भूमिगत टैंक के माध्यम से लूप कन्फीगरेशन के माध्यम से स्थापित किया जायेंगे। १३- S.F.P.E य०४०८० की सुपरटाल भवनों सम्बन्धी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

15-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-10-2024
स्थान : LUCKNOW